Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 24 नवम्बर, 2015
(3 अग्रहायण, 1937 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का0आ0 153/के0अ02/1974/धा011 तथा 14/2015, दिनांक 24 नवम्बर, 2015–जिला फरीदाबाद तथा कुरुक्षेत्र में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना करने बारे।	399–400
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग–III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 नवम्बर, 2015

संख्या का.आ.153/के.अ.2/1974/धा.11 तथा 14/2015.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2), की धारा 14 के साथ पठित धारा 11 की उप–धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का. आ. 16/के. अ. 2/1974/धा. 14/97, दिनांक 6 फरवरी, 1997 तथा हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, आदेश क्रमांक 8/39/2001–पर्या0I, दिनांक 18 अप्रैल, 2002 के अधिक्रमण में तथा पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य में फरीदाबाद तथा कुरुक्षेत्र में प्रत्येक में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के दो विशेष न्यायालयों की स्थापना करते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीचे दी गई अनुसूची के खाना 2 में यथा विनिर्दिष्ट पीठासीन अधिकारी, विशेष पर्यावरण न्यायालय होंगे तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 6), वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का केन्द्रीय अधिनियम 14), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29), लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का केन्द्रीय अधिनियम 6), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्द्रीय अधिनियम XVI), वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 53), के अधीन अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होने वाले मामलों में विचारण तथा जांच के प्रयोजन हेतु उक्त अनुसूची के खाना 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर अधिकारिता होगी, अर्थात् :–

अनुसूची

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	अधिकारिता
1	2	3
1.	विशेष पर्यावरण न्यायालय, फरीदाबाद	(i) जिला फरीदाबाद (ii) जिला गुड़गांव (iii) जिला मेवात (iv) जिला पलवल (v) जिला रिवाड़ी (vi) जिला महेन्द्रगढ़ (vii) जिला झज्जर
2.	विशेष पर्यावरण न्यायालय, कुरुक्षेत्र	(i) जिला अम्बाला (ii) जिला भिवानी (iii) जिला फतेहाबाद (iv) जिला हिसार (v) जिला जीन्द (vi) जिला कैथल (vii) जिला करनाल (viii) जिला कुरुक्षेत्र (ix) जिला पंचकूला (x) जिला पानीपत (xi) जिला रोहतक (xii) जिला सिरसा (xiii) जिला सोनीपत (xiv) जिला यमुनानगर

इन न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, इन अधिनियमों के अधीन मौलिक पक्ष पर अधिकारिता का प्रयोग करेंगे तथा इन न्यायालयों के न्यायनिर्णयों, निर्णयों तथा आदेशों के विरुद्ध अपीलें तथा पुनरीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के उपबन्धों द्वारा विनियमित किए जाएंगे। विशेष पर्यावरण न्यायालय, फरीदाबाद का पीठासीन अधिकारी, विशेष पर्यावरण न्यायालय, कुरुक्षेत्र का पदेन पीठासीन अधिकारी होगा तथा विशेष पर्यावरण न्यायालय, कुरुक्षेत्र का पीठासीन अधिकारी, विशेष पर्यावरण न्यायालय, फरीदाबाद का पदेन पीठासीन अधिकारी होगा।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण विभाग।